राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः– प. 10(1)प्रसु/सम/अनु–1/2012 जयपुर, दिनांकः–44 .12.2020

परिपत्र

शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है। इसे सुनिश्चित करने की दृष्टि से समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अंकित टिप्पणी/नोट अथवा प्रेषित पत्र पर किये जाने वाले हस्ताक्षर के नीचे नाम, पदनाम तथा दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किये जाने के संबंध में पूर्व मे इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.03.2012, 21.02.2013, 24.05.2013, 18.03.2016 एवं 27.06.2019 तथा पूर्व में जारी उक्त विषयक अन्य सभी परिपत्रों के अतिक्रमण में निम्न दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

1. समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं फील्ड में कार्यरत् सभी कार्मिकों द्वारा अपने राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान प्रेषित/प्रस्तुत पत्रों, टिप्पणी, नोट एवं अन्य दस्तावेजों पर जब भी हस्ताक्षर किये जावें तो अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम, दिनांक एवं पदनाम आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।
2. जिन प्रकरणों पर अधिकारी/कर्मचारी के दिनांकित हस्ताक्षर, नाम, पदनाम अंकित नहीं हो, उनकी पत्रावलियां उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकार न की जाकर, संबधित अधिकारी/कार्मिक को लौटाने की प्रकिया अपनाई जावे।
3. अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजकीय पत्र व्यवहार करते समय पत्र पर कार्यालय का सम्पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, फेक्स नम्बर, विभागीय वेबसाईट, कार्यालय/संबधित अधिकारी की मेल–आई.डी. भी आवश्यक रूप से अंकित की जावे।
4. सभी विभाग द्वारा वेबसाईट को समयबद्ध तरीके से अपडेट किया जावे तथा सम्बंधित विभाग के महत्वपूर्ण परिपत्र/आदेश/दिशा–निर्देश, विभाग के समस्त अधिकारियों के ई–मेल एड्रेस, मोबाईल नम्बर इत्यादि को निरन्तरता से अपडेट किया जावे।
5. विभाग/अनुभाग के कार्य तथा विभाग/अनुभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाईल नम्बर तथा उन्हें आवंटित कार्य को भी निरन्तर अपडेट किया जावेगा।

उक्त निर्देशों की पालना समस्त राजकीय विभाग/कार्यालय/बोर्ड/निगम/आयोग मे सुनिश्चित की जावे। निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जायेगा और ऐसी स्थिति में सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(निरन्जन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. प्रमुख आवासीय आयुक्त/आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड़, नई दिल्ली।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक।
10. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग।
11. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर–प्रचार प्रसार हेतु।
12. रक्षित पत्रावली

(अश्विनी भगत)
प्रमुख शासन सचिव